आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
21/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **बी0बी0सी0 पुनरीक्षण 394 / 1996** **मोतीलाल महतो बनाम् लीला देवी** प्रश्नगत् पुनरीक्षण उपायुक्त, राँची अपील वाद संख्या–36-R15/1995-96 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। वाद दायर करने के पश्चात् वर्ष–1999 में उभय पक्ष उपस्थित हुये तथा उक्त समय से ही वाद की कार्रवाई निम्न् न्यायालय के अभिलेख एवं पक्षकारों की उपस्थिति के लिये लम्बित रही। वर्ष–2002 से ही आवेदकों को विपक्षियों का पूरा पता उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाता रहा किन्तु वे ऐसा करने में असफल रहे। पुनः 2008 में विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुये सही पता उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता रहा, किन्तु आवेदकों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। वर्ष–2012 से आवेदक भी न्यायालय से अनुपस्थित हो गये। इस प्रकार यह वाद उभय पक्षों की अनुपस्थित में ही विगत् 10 वर्षों से न्यायालय में संधारित है। स्पष्टतः उभय पक्षों को इस वाद के संचालन में कोई अभिरूचि नहीं है। निम्न् न्यायालयों के आदेश देखने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी तथा विपक्षी दोनों एक ही परिवार के सदस्य है। विपक्षी अपीलार्थी के भाई की बहू है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विस्तृत विवेचना करते हुये यह निष्कर्ष दिया गया कि अपीलार्थी एवं विपक्षी में मकान मालिक एवं किरायेदार का कोई रिश्ता नहीं है। उक्त समय उभय पक्षकारों के बीच Partion Suit एवं Probate Suit सक्षम व्यवहार न्यायालय में संधारित था। स्पष्टतः BBC अधिनियम के तहत् इस विषय की विवेचना किया जाना संभव नहीं था, जिस कारण अनुमण्डल पदाधिकारी एवं उपायुक्त के न्यायालय द्वारा आवेदकों के दावे को अमान्य कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पारिवारिक विवाद से संबंधित उक्त वादों का व्यवहार न्यायालय में निष्पादन होने के कारण इस न्यायालय से उभय पक्ष अनुपस्थित है। वर्णित तथ्यों के आलोक में इस पुनरीक्षण आवेदन की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित Wcuucami' 21/3/22 प्रमण्डलीय आयुक्त Wcuucami' 21/3/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 12:59:30 +05:30
Location: 10.93.72.187